

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024—वैशाख 6, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. ई-5-1020-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री अदिति गर्ग, भाप्रसे (2015), उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल (अ. प्र.) के दिनांक 18 से 22 मार्च 2024 तक Singapore Cooperation Programme On Health Care Mnagement in Singapore में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में, दिनांक 15 से 17 मार्च 2024 तक, तीन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अदिति गर्ग, भाप्रसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल (अ. प्र.) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री अदिति गर्ग, भाप्रसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदिति गर्ग, भाप्रसे. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

2339

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

क्र. ई-1-62-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. संजय गोयल (2003), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.	—
2.	श्री संजय गुप्ता (2007), श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर.	कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	—
3.	श्री छोटे सिंह (2010), अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा.	अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर संभाग, ग्वालियर. (विभागीय आदेश दिनांक 14-3-2024 द्वारा सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर की गई पदस्थापना को संशोधित करते हुए).	—
4.	श्रीमती सपना निगम (2010), अपर आयुक्त (राजस्व), ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर.	—
5.	श्री राजीव रंजन मीना (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त.	उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
6.	श्री ऋषि गर्ग (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.	—
7.	श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े (2016), वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त.	अपर कलेक्टर, जिला सतना	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8.	श्रीमती संजना जैन (2016), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना.	—
9.	श्रीमती रेखा राठौर (2018), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ.	अपर कलेक्टर, जिला खरगौन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. संजय गोयल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे. (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) विभागीय आदेश दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे. (2006), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर किया गया स्थानांतरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(5) विभागीय आदेश दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा श्री श्रीमन शुक्ल, भाप्रसे. (2007), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल के पद पर किया गया स्थानांतरण एतद्वारा निरस्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-244-2023-5-एक.—आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से भाप्रसे. के प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 123100-215900/- (पे मेट्रिक्स-13) में पदोन्नति प्रदान की गई है।

(2) आवंटन वर्ष 2011 के शेष निर्माकित 04 भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से काल्पनिक रूप से भाप्रसे. के प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 123100-215900/- (पे मेट्रिक्स-13) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री दिनेश जैन, कलेक्टर, जिला नीमच.	कलेक्टर, जिला नीमच
2.	श्री संजय कुमार मिश्रा, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधि, पादप बोर्ड, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा सचिव-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधि पादप बोर्ड, भोपाल.
3.	श्री गिरीश शर्मा, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
4.	श्री शिवराज सिंह वर्मा, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

(3) उपरोक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2024 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की बीच की अवधि के वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी, किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2024

क्र. ई-1-39-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विवेक श्रोत्रिय, भाप्रसे (2012), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	—
2.	श्री राकेश सिंह, भाप्रसे (2009), संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए).	प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-1-56-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका		
क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री दिलीप कुमार कापसे, (2014), राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

क्र. ई-1-64-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—

(2) निर्देशानुसार श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल तथा आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है।

क्र. ई-1-65-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अभय सिंह ओहरिया (2018), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया.

क्र. ई-1-65-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री अमन वैष्णव (2018) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम.	अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर

क्र. ई-1-67-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री ललित कुमार दाहिमा, (2008) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.
2.	श्री अजय कटेसरिया, (2012), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
3.	श्री अरूण कुमार परमार (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग.	अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा.
4.	श्रीमती अजीजा सरशार जफर (2016), अपर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.

(2) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को केवल पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद से मुक्त किया जाता है।

(3) श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012), सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बिल्डिंग डवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग को केवल सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद से मुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2024

एफ 11-146-2019-सूअप्र-एक-9.—राज्य शासन एतद्वारा, श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, (वर्तमान में सेवानिवृत्त) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 13 से 15 मार्च 2024 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश एवं उक्त अवधि की कैलेण्डर वर्ष की द्वितीय एल. टी. सी. (भोपाल से अयोध्या) की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024

क्र. एफ-1-49-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2024 द्वारा श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. भोपाल को दिनांक 26 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 फरवरी 2024 के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 16-17 मार्च, 2024 के पश्चात्पूर्वी विज्ञप्त अवकाश अवधि में प्रिन्सटन, न्यू जर्सी (USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. भोपाल को अपरिहार्य कारणों से निजी विदेश यात्रा की अवधि में वृद्धि करते हुए दिनांक 18 से 22 मार्च 2024 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-24 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2024

क्र. 986-इक्कीस-ब(दो).—माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन रिट याचिका क्रमांक-8852-2021 में पारित आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2023 द्वारा पूर्व रिट याचिका क्रमांक 9923/21 तथा रिट याचिका क्रमांक 9943 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 28 जून 2021 एवं 6 जुलाई 2021 के अनुसार आवेदक श्री कांतिलाल यादव का नोटरी लाइसेंस याचिका के अंतिम निराकरण तक स्थगित किया गया था. उक्त रिट याचिका अंतिम रूप से निराकृत कर निरस्त की गई है।

अतः उक्त याचिका खारिज होने से श्री कांतिलाल यादव, नोटरी का स्थगन समाप्त कर, उन्हें नोटरी व्यवसाय किये जाने हेतु निरंतर किया जाता है।

धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/5 अप्रैल 2024

क्र. 1595-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अनुज कुमार मित्तल, 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं अतिरिक्त प्रभार के रूप में माह में दो दिवस हेतु अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2024

पंजी. क्र. 1603-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री गौतम भट्ट, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), नर्मदापुरम का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में तेईसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के नवीन न्यायालय के रिक्त पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. रघुवंशी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024

पंजी क्र. 947-2024-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-सोनकच्छ, जिला देवास में विभागीय आदेश दिनांक 17 फरवरी 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

फा. क्र. 1754-इक्कीस-ब (एक)-2024.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 7, 23, 24, 44, 62, 63, 65, 68 तथा 81 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	श्री विकास विश्वकर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बालाघाट.	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट
23	श्रीमती स्वाती समाधिया, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेवदा.	सेवदा	दतिया	सेवदा	सेवदा
24	श्री निलेन्द्र कुमार तिवारी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास.	देवास	देवास	देवास	देवास
44	श्री विनोद अहिरवार, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मन्दसौर.	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर	मन्दसौर
62	श्री अजय प्रताप सिंह यादव, चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सतना.	सतना	सतना	सतना	सतना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नागौद.	नागौद	सतना	नागौद	नागौद
65	सुश्री सपना शिवहरे, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बुदनी.	बुदनी	सीहोर	बुदनी	बुदनी
68	श्री अंजय सिंह, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शहडोल.	शहडोल	शहडोल	शहडोल	शहडोल
74	श्री श्रीकिशन भूखारिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, करेरा.	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा
81	श्री आकाश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, महिदपुर.	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर

F. No. 1754-XXI-B(1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table for serial numbers 7, 23, 24, 44, 62, 63, 65, 68, 74 and 81 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“7	Shri Vikas Vishwakarma, III rd Civil Judge Senior Division, Balaghat.	Balaghat	Balaghat	Balaghat	Balaghat
23	Smt. Swati Samadhiya, Civil Judge Senior Division, Seodha.	Seodha	Datia	Seodha	Seodha

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Shri Neelendra Kumar Tiwari, III rd Civil Judge Senior Division, Dewas.	Dewas	Dewas	Dewas	Dewas
44	Shri Vinod Ahirwar, V th Civil Judge Senior Division, Mandsaur.	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
62	Shri Ajay Pratap Singh Yadav, IV th Additional Judge to 1 st Civil Judge Senior Division, Satna.	Satna	Satna	Satna	Satna
63	Smt. Maneesha (Jain) Tiwari, II nd Civil Judge Senior Division, Nagod	Nagod	Satna	Nagod	Nagod
65	Sushri Sapna Shivhare, Civil Judge Senior Division, Budhni.	Budhni	Sehore	Budhni	Budhni
68	Shri Anjay Singh, Additional Judge to 1 st Civil Judge Senior Division, Shahdol.	Shahdol	Shahdol	Shahdol	Shahdol
81	Shri Akash Sharma I st Civil Judge Junior Division, Mahidpur.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

फा. क्र. 1755-इक्कीस-ब (एक)-2024.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस-ब (एक) 2051 / 2016 दिनांक 6 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96-इक्कीस-ब(एक) 2252 / 2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए श्री धर्मेश भट्ट, चतुर्थ जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल तथा श्री सुधीर मिश्रा, सत्रहवें जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है अर्थात् :-

सारणी			
अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर.
2.	श्री गिराज प्रसाद गर्ग, सत्ताईसवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खण्डवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.”

F. N. 1755-XXI-B(one)2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Departments Notification No. 1-5-96-XXI-B(one)-2051-2016, dated 06th June, 2016, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17th June, 2016 & in supersession of this Departments Notification No. 1-5-96-XXI-B(one)-2252-2020, dated 31st August, 2020, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 11th September, 2020, the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Dharmesh Bhatt, IV District and Additional Sessions Judge, Bhopal and Shri Sudhir Mishra, XVII District and Additional Sessions Judge, Indore to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :—

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Shri Arvind Kumar Sharma, III rd District & Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Narmadapuram, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur, and Ashoknagar.
2.	Shri Girraj Prasad Garg, XXVII District & Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Khandwa, Neemuch, Barwani, Alirazpur & Burhanpur.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2024

क्र. 848-1988350-पचास-2-27.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	खरगौन (मंडलेश्वर)	खरगौन (मंडलेश्वर)	श्रीमती सविता वर्मा, JMFC
2	मुरैना	मुरैना	श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, JMFC
3	शिवपुरी	शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर, JMFC
4	भिण्ड	भिण्ड	सुश्री नेहा उपाध्याय, JMFC
5	सीहोर	सीहोर	सुश्री मानसी बलूजा, JMFC
6	छतरपुर	छतरपुर	श्रीमती नेहा पाराशर, JMFC
7	रतलाम	रतलाम	सुश्री कृतिका सिंह, JMFC
8	अनूपपुर	अनूपपुर	सुश्री अंजली शाह, JMFC
9	विदिशा	विदिशा	श्रीमती कला भम्मारकर, JMFC
10	राजगढ़	राजगढ़	सुश्री स्निग्धा पाठक, JMFC
11	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी, JMFC
12	सागर	सागर	श्रीमती नेहा बंसल, JMFC
13	डिंडोरी	डिंडोरी	श्रीमती ज्योति राठौर मावी, JMFC
14	शहडोल	शहडोल	श्री ऋषभ डोनल सिंह, JMFC
15	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, JMFC
16	इंदौर	इंदौर	श्रीमती आरती रतोनिया, JMFC

No. 848-1988350-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the scheduled below for the District as specified in column (3) there for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Khargone (Mandleshwar)	Khargone (Mandleshwar)	Smt. Savita Verma, JMFC
2	Morena	Morena	Smt. Priyanka Utkarsha Tripathi, JMFC
3	Shivpuri	Shivpuri	Smt. Roopam Tomar, JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Bhind	Bhind	Sushri Neha Upadhyay, JMFC
5	Sehore	Sehore	Sushri Mansi Baluja, JMFC
6	Chhatarpur	Chhatarpur	Smt. Neha Parashar, JMFC
7	Ratlam	Ratlam	Sushri Kritika Singh, JMFC
8	Anuppur	Anuppur	Sushri Anjali Shah, JMFC
9	Vidisha	Vidisha	Smt. Kala Bhammarkar, JMFC
10	Rajgarh	Rajgarh	Sushri Snigdha Pathak, JMFC
11	Chhindwara	Chhindwara	Smt. Neha Maurya Solanki, JMFC
12	Sagar	Sagar	Smt. Neha Bansal, JMFC
13	Dindori	Dindori	Smt. Jyoti Rathore, Mavi, JMFC
14	Shahdol	Shahdol	Shri Rishabh Donnel Singh, JMFC
15	Narsinghpur	Narsinghpur	Sushri Ankita Shrivastava, JMFC
16	Indore	Indore	Smt. Arti Ratoniya, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्र. 505-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

स. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	श्री विनायक गुप्ता	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर
2	श्री महेन्द्र सेनी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, छिन्दवाड़ा
3	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा
4	डॉ. मनोज कुमार, जूनि.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जबलपुर
5	श्री रूपेन्द्र सिंह मडावी	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देवास
6	श्री सुशील गैहलोत	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सीधी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 19 मार्च 2024

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र.-493-भू-अर्जन-2024.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-2 / ग्रेविटी मेन-2 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-पोखर, प. ह. नं. 49/140, रा. नि. मं-02, बलकवाड़ा, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	कसरावद	ग्राम-पोखर,	41/2	0.004
		प.ह.नं.-49/140	42/4	0.001
			42/3	0.001
			42/5	0.003
		कुल योग . .		0.009

अग्रिम कुमार, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 20 मार्च 2024

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र.-677-भू-अर्जन-री-1-2024-रा. प्र. क्र. 0384-ब-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी-जामन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-रेहगांव, प. ह. नं. 25/84, तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21, सनावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम-रेहगांव,	116/1	0.029
		प.ह.नं.-25/84	116/3	0.003
			117/3	0.011
			117/2	0.014
कुल योग . .				0.057

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला-झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 21 मार्च 2024

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र.-1451-री-1-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0186-ब-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी-एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आम्बाखोदरा, प. ह. नं.-60, रा. नि. मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला-धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-आम्बाखोदरा, प.ह.नं.-60	431 417 349	0.058 0.034 0.025
कुल योग . .				0.117

प्ररूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

पत्र क्र.-1456-री-1-भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0187-ब-121-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी-एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बिलीडोज, प. ह. नं.-60, रा. नि. मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला-धार (म. प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची				
जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम-बिलीडोज, प.ह.नं.-60	305	0.073
			304	0.036
			302	0.062
			303/1	0.015
			108/2/6/1/1	0.004
			124/1	0.050
			123/1	0.124
			123/2/1/1	0.050
			131	0.056
			12	0.092
			5	0.039
			कुल योग . .	0.601

एस. एच. विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्रमांक /FOR/9/0001/2024-Sub-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धा की नीचे की अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - ढूला N 24°19'12.4" से N 24°19'32.5" उत्तर अक्षांश तथा E 79°31'38.7" से E 79°31'58.2" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनखण्ड - पन्ना टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	ढूला	ढूला	म.प्र. शासन वन विभाग	29(S) 31(S)	5.44 10.40	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड बछामा की सीमा। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक संरक्षित वनखण्ड बछामा की सीमा। प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 18 तक। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 21 तक। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 1 तक।
योग.					15.84	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक /श.प्र.क्र./14 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फताखरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2024

No. FOR-9-0001-2024-Sec-3-100(FOR) :- In exercise of the powers conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XXI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Dhula** lies between N 24°19'12.4" to N 24°19'32.5" North Latitude and E 79°31'38.7" to E 79°31'58.2" East Longitude.

SCHEDULE

District		Damoh		Tehsil.		Hatta	
Forest Division		Panna Tiger Reserve		Forest Range		Madiyado	
No	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dhula	Dhula	M.P.Govt. Forest department Govt land	29(S) 31(S)	5.44 10.40	North	Boundary of protected forest block Bachhama from Pillar number 1 to 4.
						East	Boundary of protected forest block Bachhama from pillar number 4 to 5 of proposed forest block. Pillar number 11 to 18 of proposed forest block.
						South	Pillar number 18 to 21 of proposed forest block.
						West	Pillar number 21 to 1 of proposed forest block.
				Total-	15.84		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-19-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 15.84 hectare transferred mutated in favour of Forest Department order No. 14/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्रमांक FOR/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :- भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - घूरखेडा अ N 24°21'37" स N 24°22'26.3" उत्तर अक्षांश तथा E 79°38'13.7" से E 79°39'4.8" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला - दमोह तहसील - हटा
वनखण्ड - पत्रा टाईगर रिजर्व वन परिक्षेत्र - मडियादो

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण				वनखंड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	
1	घूरखेडा	घूरखेडा	म.प्र. शासन वन विभाग	227/2	30.00	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 15 तक। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 21 तक संरक्षित वनखण्ड घूरखेडा की सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 24 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 1 तक।
				योग-	30.00	

(क) अधिनियम प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिसूचित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 30.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./20 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2 अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2024

No. FOR 9 0001 2024-Sec 3-10(FOR) :- In exercise of the powers conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Ghoorkheda-A** lies between **N 24°21'37" to N 24°22'26.3"** North Latitude and **E 79°38'13.7" to E 79°39'4.8"** East Longitude.

SCHEDULE

District Damoh Tehsil Hatta
Forest Division Panna Tiger Reserve Forest Range Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included			Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghoorkheda A	Ghoorkheda	M.P.Govt. Forest department Govt. land	227/2	30.00	North Pillar number 1 to 15 of proposed forest block. East Boundary of protected forest block Ghoorkheda from Pillar number 15 to 21 of proposed forest block. South Boundary of reserved forest block Bhurkhura from Pillar number 21 to 24 of proposed forest block. West- Pillar number 24 to 1 of proposed forest block.
				Total	30.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 30.00 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 20/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons:- Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under :-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR 9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा पक्ष शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के पाठान/उपबन्धा का नीचे की अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - उदयपुरा-अ N 24°21'43.64" से N 24°21'54.82" उत्तर अक्षांश तथा E 24°21'49.79" से E 24°21'50.5" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला	दमोह	तहसील	हटा
वनखण्ड	पत्रा टाईगर रिजर्व	वन परिक्षेत्र	मडियादा
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखंड की भूमि का विवरण		
क्र.	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	क्षेत्रफल (हे. में.)
1	उदयपुरा	म.प शासन वन विभाग	5.84
		6(s)	
			योग-
			5.84
			वनखंड की सीमाएं
			उत्तर- संरक्षित वनखण्ड बछामा की सीमा पर स्थापित प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 तक।
			पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक।
			दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक।
			पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 1 तक।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिसूचित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक /रा.प्र.क्र./22 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का स्वयंसेवा विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

- व्यक्तिगत अधिकार: उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार: उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2024

No. FOR-9-0001-2024-Sec-3-10(FOR) : In exercise of the powers conferred by section 29 of Indian Forest Act 1927 (XXI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Udayapura-A** lies between N 24°21'43.64" to N 24°21'54.82" North Latitude and E 24°21'49.79" to E 24°21'50.5" East Longitude.

SCHEDULE

District Damoh
Forest Division Panna Forest Reserve

Fehsil Hatta
Forest Range = Madiyado

No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries	
		Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Udayapura A	Udayapura	M.P Govt. Forest department Govt. land	6(s)	5.84	North	Pillar Number 1 of proposed forest block erected on the boundary of protected forest block Bachhama to Pillar Number 2 of proposed forest block.
						East	Pillar Number 2 to 3 of proposed forest block.
						South	Pillar Number 3 to 5 of proposed forest block.
						West	Pillar Number 5 to 1 of proposed forest block.
				Total	5.84		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 5.84 Hectare transferred mutated in favour of Forest Department order No. 22/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resaons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-

1. **Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
2. **Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/0/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा पदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सभ्यताओं के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड - उदयपुरा-ब N 24°20'8.1" से N 24°20'21.6" उत्तर अक्षांश तथा E 79°35'22.2" से E 79°35'43.1" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला	दमोह	तहसील	- हटा			
वनमण्डल	पत्रा टाईगर रिजर्व	वन परिक्षेत्र	- मडियादो			
क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान माल	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हे.में.)	वनखंड की सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7
1	उदयपुरा ब	उदयपुरा	म.प्र. शासन वन विभाग	226/2	16.00	उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमांक 5 तक। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुआ की सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 एवं 1 तक।
				योग-	16.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./22 अ/20(3) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

- अन्य ब्यवस्थाओं का विवरण: निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला-दमोह के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

- व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
- सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2024

No. FOR-9-0001-2024-Sec-3-10(FOR) :- In exercise of the powers conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 (XXV of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block **Udaypura-B** lies between N 24°20'8.1" to N 24°20'21.6" North Latitude and E 79°35'22.2" to E 79°35'43.1" East Longitude.

SCHEDULE

District		Damoh		Tehsil		Hatta	
Forest Division		Panna Tiger Reserve		Forest Range		Madiyado	
No.	Name of Proposed Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra no.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Udaypura B	Udaypura	M.P.Govt. Forest department Govt. land	226/2	16.00	North-	Pillar number 1 to 4 of proposed forest block.
						East-	Pillar number 4 of proposed forest block to Pillar number 5 erected on the boundary of reserved forest block Bharkhura.
						South-	Boundary of reserved forest block Bharkhura from Pillar number 5 to 6 of proposed forest block.
						West-	Pillar number 6 to 8 and 1 of proposed forest block.
				Total	16.00		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 16.00 hectare transferred-mutated in favour of Forest Department order No. 22/अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 11.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nil

(P) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar-Ferdakheda District Damoh are as under:-

- Individuals of Rights -** There are no individual rights on the said land.
- Communities of Rights -** There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड बिला N 24° 26' 11.866" E 79° 44' 19.616" से N 24° 26' 57.591 E 79° 43' 46.855" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 26' 18.164" E 79° 43' 58.638" से N 24° 26' 18.529 E 79° 44' 45.050" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— छतरपुर

तहसील—बिजावर

वनमण्डल— पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र—किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बिला	बिला	म.प्र. शासन वन विभाग	1	29.279	उत्तर — मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक संरक्षित वनखण्ड झरकुआं के कक्ष क्रमांक पी 458 की सीमा।
2				4	12.140	पूर्व — मुनारा क्रमांक 7 से 17 तक राजस्व ग्राम बिला की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 17 से 22 तक संरक्षित वनखण्ड रैपुरा के कक्ष क्रमांक पी 465 की सीमा।
3				5	3.647	
4				6	0.178	दक्षिण — मुनारा क्रमांक 22 से 25 तक संरक्षित वनखण्ड रैपुरा के कक्ष क्रमांक पी 465 एवं 464 की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 25 से 69 तक राजस्व ग्राम बिला की सीमा।
5				7	0.271	
6				8	1.161	पश्चिम — मुनारा क्रमांक 69 से 75 तक राजस्व ग्राम बिला की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 75 से 78 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड मतीपुरा के कक्ष क्रमांक पी 457 की सीमा।
7				9	0.206	
8				10	0.384	
9				12	0.413	
10				13	0.462	
11				14	0.849	
12				15	0.040	
13				16	0.093	
14				21	0.906	
15				22	0.166	
16				24	0.429	
17				25	0.529	
18				26	0.878	
19				31	0.306	
20				32	0.475	
21				33	0.020	
22				34	0.599	
23				42	0.490	
24				43	0.537	
25				44	0.238	

26			45	0.113
27			46	1.100
28			47	0.057
29			48	0.644
30			49	0.081
31			51	0.793
32			52	1.149
33			53	3.435
34			54	0.287
35			55	3.039
36			56	0.518
37			60	0.089
38			61	0.219
39			64	0.077
40			65	0.214
41			72	0.036
42			73	0.049
43			74	0.053
44			75	0.045
45			78	0.024
46			137	0.093
47			138	0.202
48			139	0.802
49			140	0.061
50			141	1.343
51			142	0.470
52			143	0.113
53			144	0.332
54			145	0.053
55			146	0.246
56			147	0.198
57			148	0.040
58			149	0.117
59			151	0.405
60			169	0.045
61			171	7.079
62			173	8.931
63			178	5.970
64			179	6.840
65			180	5.160
66			181	4.007
67			183	9.105
68			188	0.203
69			189	1.619
70			150/1	1.210

71			163/2	0.494
72			170/1	2.894
73			172/1	5.407
74			182/1	5.504
75			20/1	7.046
76			20/3	4.047
77			27/2	0.409
78			50/1	0.486
79			50/2	3.263
80			58/1/1	0.458
81			58/1/2	1.011
82			58/3	0.809
83			58/4	2.630
84			3/1	8.000
			योग:-	163.820

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेटवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 163.820 हेक्टेयर को मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0004/अ-20(1) हस्तां/2024-25 दिनांक 11.04.2022 से हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 24 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 24th April 2024

No./ FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Bila** N 24° 26' 11.866" E 79° 44' 19.616" to N 24° 26' 57.591 E 79° 43' 46.855" North Latitude N 24° 26' 18.164" E 79° 43' 58.638" to N 24° 26' 18.529 E 79° 44' 45.050" East Longitude.

SCHEDULE**District- Chhatarpur****Tahsil- Bijawar****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bila	Bila	M.P. Govt. Forest Department	1	29.279	North - Boundary of compartment number P 458 of protected forest block Jharkuan from Pillar number 1 to 7. South - Boundary of Revenue village Bila from Pillar number 7 to 17 and boundary of compartment number P465 of protected forest block Raipura from Pillar number 17 to 22. East - Boundary of compartment number P 464 and P 465 of protected forest block Raipura from Pillar number 22 to 25 and boundary of Revenue village Bila from Pillar number 25 to 69. West - Boundary of Revenue village Bila from Pillar number 69 to 75 and boundary of compartment number P 457 of protected forest block Matipura from Pillar number 75 to 78 and 1.
2				4	12.140	
3				5	3.647	
4				6	0.178	
5				7	0.271	
6				8	1.161	
7				9	0.206	
8				10	0.384	
9				12	0.413	
10				13	0.462	
11				14	0.849	
12				15	0.040	
13				16	0.093	
14				21	0.906	
15				22	0.166	
16				24	0.429	
17				25	0.529	
18				26	0.878	
19				31	0.306	
20				32	0.475	
21				33	0.020	
22				34	0.599	
23				42	0.490	
24				43	0.537	
25				44	0.238	
26				45	0.113	
27				46	1.100	

28			47	0.057
29			48	0.644
30			49	0.081
31			51	0.793
32			52	1.149
33			53	3.435
34			54	0.287
35			55	3.039
36			56	0.518
37			60	0.089
38			61	0.219
39			64	0.077
40			65	0.214
41			72	0.036
42			73	0.049
43			74	0.053
44			75	0.045
45			78	0.024
46			137	0.093
47			138	0.202
48			139	0.802
49			140	0.061
50			141	1.343
51			142	0.470
52			143	0.113
53			144	0.332
54			145	0.053
55			146	0.246
56			147	0.198
57			148	0.040
58			149	0.117
59			151	0.405
60			169	0.045
61			171	7.079
62			173	8.931
63			178	5.970
64			179	6.840
65			180	5.160
66			181	4.007
67			183	9.105
68			188	0.203

69			189	1.619
70			150/1	1.210
71			163/2	0.494
72			170/1	2.894
73			172/1	5.407
74			182/1	5.504
75			20/1	7.046
76			20/3	4.047
77			27/2	0.409
78			50/1	0.486
79			50/2	3.263
80			58/1/1	0.458
81			58/1/2	1.011
82			58/3	0.809
83			58/4	2.630
84			3/1	8.000
			Total:-	163.820

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 66.176 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No 0004/अ-20(1)हस्ता/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2024

क्रमांक / 811 / आर-1925179 / 2024 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 25°22'56.85" से N 25°23'12.66" उत्तर अक्षांश तथा E 77°45'6.77" से E 77°45'24.80" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला :- शिवपुरी
वनमण्डल :- शिवपुरी

तहसील :- शिवपुरी
वन परिक्षेत्र :- शिवपुरी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमायें
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	विरधा II	विरधा	राजस्व भूमि	101/2/2	17.63	उत्तर - राजस्व सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 05. पूर्व - आरक्षित वनखण्ड चिरोजी की सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 05 से 11. दक्षिण - शिवपुरी झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 27 एवं राजस्व सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 11 से 22. पश्चिम - प्राकृतिक नाला एवं राजस्व सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 22 से 01.
				कुल योग	17.63 हे.	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ-6/एम.प.आर./014/2022-बीएचओ दिनांक 30.01.2023 में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार मॉ रतनगढ़ केनाल परियोजना में प्रभावित 17.63 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 17.63 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, शिवपुरी के आदेश क्रमांक 0035/2020-21/अ-20(3) नजूल 491-500 आदेश दिनांक 27.03.2021 एवं संशोधित आदेश प्रकरण क्रमांक 0035/2020-21/अ-20(3) नजूल 786 दिनांक 29.09.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2023 के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावा विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2024

क्र. 811-आर-1925179-2024-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 811-आर-1925179-2024-दस-3, दिनांक 26 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 26th April 2024

No./ 811 /R-1925179/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 25°22'56.85" to N 25°23'12.66" North Latitude and E 77°45'6.77" to E 77°45'24.80" East Longitude.

SCHEDULE

District - Shivpuri
Forest Division - Shivpuri

Tahsil - Shivpuri
Forest Range - Shivpuri

S.N.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Virdha II	Virdha	Revenue Land	101/2/2	17.63	North - Revenue boundary limits Pillar number 1 to 5. East - Reserve forest block Chironi limits Pillar number 5 to 11. South - Shivpuri-Jhansi National highway 27 & Revenue limits Pillar number 11 to 22. west - Natural drainage channel and Revenue limits Pillar number 22 to 1.
				Total	17.63 ha.	

(A) Reason for Publication of Notification :-

01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's In-Principal Stage-I approval order number 6/MPR014/2022-BHO dated 30.01.2023 and in lieu of 17.63 hectare of forest land affected in Maa Ratangarh Canal Project the above mentioned Non Forest Land of 17.63 hectare transferred/mutated in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 0035/2020-21/अ-20(3) नजूल 491-500 dated 27.03.2021 and Revised order number 0035/2020-21/अ-20(3) नजूल 786 dated 29.09.2023 of Collector Shivpuri for the purpose of compensatory afforestation.

02. Detail of other Reasons – Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Mandla Distt. Mandla Certificate are as under.

1. Individuals Rights :- There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights :- There are no Communities Rights on the said land.

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला दतिया, मध्यप्रदेश

क्र. आरडीएम-9-5-2024-582

दतिया, दिनांक 25 जनवरी 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2(क)15/99 बी-3/दो भोपाल दिनांक 11.10.2004 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 के खण्ड-एस, में प्रदत्त शक्तियों एवं म.प्र.शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ/2(क)9/08/बी-3/दो भोपाल 30.07.2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01/1770880/2023/बी-3/2, भोपाल दिनांक 02.01.2024 व पत्र क्रमांक 03/1771880/2023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के पालन में जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक में सर्व सहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं, संदीप कुमार माकिन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दतिया निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये जिला दतिया में निम्नानुसार ग्रामों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थानों/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ।

म.प्र.राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गये ग्रामों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 04 में दर्शाये गये अन्य थानों/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किये जाते हैं:-

स.क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम का वर्तमान थाना/चौकी	अन्य थाना/चौकी जिसमें पुर्ननिर्धारण किया गया है।
1.	मलौआ	थरेट	इंदरगढ़
2.	कालीपहाड़ी	सिविल लाईन	जिगना
3.	लेतरा लिधोरा	सिविल लाईन	धीरपुरा
4.	जखौरिया	सिविल लाईन	सिनावल
5.	महुआ	धीरपुरा	सिविल लाईन
6.	भागौर	चिरुला	सिविल लाईन
7.	पिसनारी	चिरुला	सिविल लाईन
8.	बहादुरपुर	दुरसड़ा	सिविल लाईन
9.	पड़री	इंदरगढ़	गोंदन
10.	पहाड़ी	अतरेंटा	थरेट
11.	बागुर्दन सिद्धो	दुरसड़ा	गोंदन

12.	बागुर्दनफिरोज	दुरसड़ा	गोंदन
13.	जौरा	दुरसड़ा	गोंदन
14.	बागपुरा	दुरसड़ा	गोंदन
15.	पीपरी	दुरसड़ा	गोंदन
16.	स्यारी	उनाव	दुरसड़ा
17.	मैथानापाली	गोंदन	इंदरगढ़
18.	चरई	गोंदन	दुरसड़ा
19.	बघनपुरा	गोंदन	इंदरगढ़
20.	रिछोरा	गोंदन	इंदरगढ़
21.	भिल्ला	बडौनी	सिनावल
22.	चिरोल	बडौनी	सिनावल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप कुमार माकिन, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन अपर सचिव.